

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

50
८५८४

फँसी 0771-2262802 (आकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

नमांक 4226/अका./सम्बद्धता/2017

रायपुर, दिनांक 07/06/2017

॥ आदेश ॥


विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन, पो.आ-सोजबहार, जिला-रायपुर को नियमानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2017-18 से अस्थायी सम्बद्धता संशर्त प्रदान की जाती है:-

	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Sc Maths(Maths/Physics/Computer Sc.) -I	40	
	B.Com.Computer Application -I	40	
2.	B.Com. -I	40	2017-18
4.	B.B.A-I	40	

शर्त :-

01. महाविद्यालय को शासन के पत्र कमांक एफ 17-67/2017/38-2 दिनांक 24.03.2017 एवं के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों/विषयों की संशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. आदेश निर्गमन की तिथि से इण्डोमेट फण्ड हेतु रु. 15,00,000/- (पंद्रह लाख रुपए) कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संरक्षा प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
06. रामय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
07. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर सम्बद्धता सत्र 2017-18 से प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को 'सूचित करें।
10. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष की संबद्धता हेतु 28 फरवरी, 2018 के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

पृ. क्रमांक A227 / अका. / सम्बद्धता / 2016
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : ०७ / 06 / 2017

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में
रूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर को सूचनार्थ।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)
श.